

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O)

E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./

4646

सूरजपुर, दिनांक 27/11/2019

प्रति,

महाप्रबंधक,

एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र।

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for diversion of 230.78 Ha. of Forest land (63.93 Ha. Protected Forest & 166.85 Ha. Revenue Forest land) for Coal Mining in Bhatgoan UG Mine of SECL, Bhatgaon Area in Surajpur District of Chhattisgarh,
— पंजीयन क्रमांक— FP/CG/MIN/39553/2019

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक—एसईसीएल/जीएम/भट/वन/2019/11 दिनांक 18.11.2019

— 00 —

विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा भटगांव भूमिगत खदान हेतु जिला सूरजपुर के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन में कमियां पाई गई है। परीक्षण में पाई गई कमियों/त्रुटियों का विवरण निर्धारित चेक लिस्ट में संलग्न प्रेषित है।

अतः प्रकरण अन्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की 06 प्रतियों में मूलतः वापस कर लेख है कि नवीन चेक लिस्ट अनुसार वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पूर्ण कर समस्त आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज एवं मानचित्र के साथ बाईडिंग कराकर पेज नम्बर अंकित करते हुए 06 प्रतियों में प्रस्तुत करें तथा समस्त दस्तावेज को MOEF के वेबसाईट पर आनलाईन मानीटरिंग सिस्टम में अपलोड करने बावत् स्केन (JPG Formatat) में कराकर सी. डी. में भी जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उक्त प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करें।

संलग्न :-1. प्रस्तुत प्रस्ताव 06 प्रतियों में मूलतः।

2. कमियों का विवरण निर्धारित नवीन चेक लिस्ट।

पृ. क्रमांक/मा.चि./

4647

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर
सूरजपुर, दिनांक 27/11/2019


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव
GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख (चेक लिस्ट)**


क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विशेष विवरण
01.	आवेदक विभाग का मांग पत्र		संलग्न है।
02.	प्रपत्र I में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)		संलग्न है।
03.	वन क्षेत्र विवरण		वनक्षेत्र के विवरण में वैधानिक स्थिति उल्लेखित नहीं है। राजस्व वनभूमि ग्रामवार एवं संरक्षित वनभूमि अलग-अलग उल्लेखित किया जावे। कुलयोग विवरण सही किया जावे।
04.	गैर वन क्षेत्र विवरण		गैर वन क्षेत्र विवरण संबंधित तहसीलदार से सत्यापित नहीं कराई गई है।
05.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर।		संलग्न है।
06.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप पटवारी मानचित्र स्केल 1:4000		पटवारी मानचित्र स्केल 1:4000 (संलग्न नहीं है)
07.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव।		प्रपत्र-4 के प्रस्ताव में लिपिकीय त्रुटि एवं अपूर्ण जानकारी दर्ज की गई है।
08.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप।		विस्तृत टीप संलग्न नहीं है।
09.	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी)		प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।
10.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र।		जानकारी में लिपिकीय त्रुटि है।
11.	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (जिन प्रकरणों में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगाकर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10 हे. तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।		संलग्न है।
12.	वृक्ष विदोहन विवरण		भूमिगत खदान होने के कारण वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है के संबंध में वचन-पत्र संलग्न करें।
13.	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस		संलग्न है।
14.	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) - राजस्व वनक्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा तीन प्रति पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा।)		प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।
15.	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा।		प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।
16.	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित)		प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।
17.	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र।		संलग्न नहीं है।
18.	अधिनियम उल्लंघन के अंतर्गत कार्यों का विवरण।		संलग्न है।

19.	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण।	संलग्न है।
20.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही।	संलग्न है।
21.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र।	गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है के संबंध में जारी दिशा निर्देश की छायाप्रति में हाईलाइट कर संलग्न किया जावे।
22.	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान।	आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
23.	रिक्लेमेशन प्लान।	रिक्लेमेशन प्लान के संबंध प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।
24.	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	माइनिंग प्लान संलग्न है।
25.	व्यवस्थापन प्लान।	आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
26.	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र II इस कार्यालय से एवं प्रपत्र III एवं प्रपत्र IV वरिष्ठ कार्यालय से भरा जावेगा।	संलग्न प्रपत्र I में टंकण त्रुटि है।
27.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र।	संलग्न है।
28.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छ.ग. शासन का वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
29.	जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे० में)	त्रुटि रहित जानकारी संलग्न किया जाना है।
30.	व०स०अ०-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई भूमि (रकबा हे० में)	त्रुटि रहित जानकारी संलग्न किया जाना है।
31.	व०स०अ०-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि (रकबा हे० में)	त्रुटि रहित जानकारी संलग्न किया जाना है।
32.	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभयारण्य या हाथी कॉरिडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी।	संलग्न नहीं है।
33.	15 कि.मी.परिधि में के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	संलग्न नहीं है।
34.	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/एफ.सी. 11-9/1998-एफ.सी. दिनांक 03.08.2009 ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें।	कलेक्टर, सूरजपुर का प्रमाण पत्र भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।
35.	राजस्व वनक्षेत्र हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)	संलग्न नहीं है।
36.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।	संलग्न है।

37.	Clearance under FC Act, 1980 : Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2 nd stage clearance (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक /7-1/2004 (CAMPA) Meeting 3038 दिनांक 12.05.2011	संलग्न है।
38.	“ A detail note on Soil Productivity of the lack of it” (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /6-MPC 013/2008-BHO/357 दिनांक 24.10.2010	संलग्न है।
39.	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. /FC Mo.2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011	आपके द्वारा लेख है कि कड़िका इस परियोजना में लागू नहीं होती है के संबंध में निर्देश की प्रति संलग्न नहीं है।
40.	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980- Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011	टंकण त्रुटि सुधार किया जाना है।

राज्य शासन से संबंधित अभिलेख

41.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्र. /एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)	पूर्ण विवरण संलग्न किया जाना है।
42.	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	संलग्न नहीं है।
43.	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /6-CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 25.05.2010)	आवश्यकता नहीं है।
44.	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण।	संलग्न नहीं है।


वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर